मुद्दे एवं तथ्य

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य परंपरागत वनवासीयो एवं वनों पर आधारित समुदायों के साथ एतिहासिक अन्याय को सुधारना है । यहाँ महत्व पूर्ण मुद्दा यह है कि उन समुदायों के परंपरागत आवासों जिन पर उनकी आजीविका निर्भर थी, को मान्यता नहीं मिल पायी यह तथ्य आदिवासियों, मछुआरों तथा घुमंतू समुदायों के सम्बन्ध में परिलक्षित होता है । जिसे उक्त अधिनियम कि क्रियान्वयन के संदर्भ में जाना जाना जरूरी है ।

2. यह भी कि उक्त संस्था क्रियान्वन हेतु उतर दाई थी वह भी उसका क्रियान्वयन उचित तरीके से नही करवा पाई जैसे झारखण्ड में सम्बन्धित उच्च अधिकारी इस उक्त अधिनियम के क्रियान्वन के विरोधी रूप में कार्यरत है ।

3. अधिकतर राज्यों में वन भिभाग द्वारा उक्त अधिनियम के विरोधा भासी रूप में कार्य किया जा रहा है ।

4. अधिकांस राज्यों में सरकारी कर्मचारी जो उक्त अधिनियम से सम्बन्धित कार्यों में लगे है वे इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी नही रखते है ।

5. CAF (कैम्पा) कोष से पैसा वर्तमान में वन विभाग द्वरा अपनी मर्जी से व्यय किया जा रहा है जिसे ग्राम सभा कि मर्जी से व्यय करना चाहिए ताकि परम्परागत वनस्पतिक सम्पदा का ज्ञान रखने वाले अपने लोग स्वय अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण से सम्बन्धित निर्णय एवं क्रियान्वयन कर सके ।

6. ओद्योगिक प्रयोजनों के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन पर ध्यान नही दिया जा रहा है ।

7. अभी भी जहां सामुदायिक वन अधिकार दिये गये है उन में से बहुत सी जगहों पर ग्राम सभाओ द्वारा गठित वन अधिकार प्रबंधन समितियों कि बजाय अन्य

सरकारी विभागों द्वारा मनमर्जी से काम किये जाते है जो कि सीधी तरह से (CFR) सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता न दिये जाने जैसा है ।

8. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों (CR) सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) एवं सामुदायिक वन अधिकार (CFRR) कि मान्यता अलग अलग प्रदान किये जाने का प्रावधान है लेकिन अधिकार रूप में इन्हें एक ही श्रेणी में रखते हुए आकड़ो का संधारण तथा अधिकार पत्र जारी किया जाता है, जो कि उचित नही है ।

9. अभी भी देश भर में वन अधिकार दावे बड़ी संख्या में लम्बित है और वर्षों तक इनके लम्बित रखने का कोई प्रावधान भी नही है तब भी वन अधिकार दावों को अनेक वर्षों से लम्बित रखा जा रहा है ।

10. वन अधिकार दावों को मान्यता देने के बाद उन्ही दावेदारों को अतिक्रमण बता कर विस्थापित किये जाने का प्रयास हो रहे है जैसे झारखण्ड वन अधिकार प्राप्त दावेदारों को Bihar public land encroachment Act 1956 के नाम पर आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ।

11. देश भर में वन अधिकारों दावों को तैयार करने और दावों के अधिकार पत्र जारी करने में समय एवं कानूनों के प्रारूप का पालन नही किया जा रहा है ।

12. राज्यों के द्वारा वन अधिकार अधिनियम (FRA) क्रियान्वयन कि प्रगति रिपोर्ट समय अनुसार एवं सटीकता पूर्वक संधारित एवं सूचित नही किया जा रहा है । यही समस्या राज्यों में उनके सम्बन्धित जिलो में भी हो रही है ।

13. अन्य परंपरागत वन निवासियों तथा वन पर आश्रित समुदायों (OTFP) को मन माने तरीके से अस्वीकार किया जा रहा है अर्थात उनके वन अधिकारों कि प्रक्रिया को बढ़ाया ही नही जा रहा । मछुआरों तथा घुमन्तु समुदायों को आदिवासियों कि श्रेणी में मान्यता देते हुए उनके वन अधिकारों कि प्रक्रिया को बढ़ाया जाय ।

14. वन अधिकार को मान्यता में व्यवधानो के फलस्वरूप वनों पर आश्रित समुदाय गैर वानिकी संसाधनों पर आश्रित आजीविका को अपनाने के लिये मजबूर किये जा रहे है ।